

04-2025

१५/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा० पत्र टी० आई० पर बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारान के हक-अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ख० नं० 854 ता 856, 858, 859, 859/1151, 860, 863, 864, 885, 882, 886 ता 891कुल किता 17 कुल रकबा 5.74 है० तन ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना में निर्माण ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना

